न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कोर्ट संख्या–2, शाहजहॉपुर।
परिवाद संख्या–28/2023,

सुदीश कुमार बनाम कुलदीप सिंह एवं अन्य।

20.12.2023

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवाद–पत्र के अनुसार परिवादी का कथन हैं कि वह अनुसूचित जाति का जाटव है। घटना दिनांक 22.02.2023 समय करीब 10 बजे दिन की है। वह अपने गेहूँ के खेत में नहर से पानी लगा रहा था। उसकी पत्नी पूजा उर्फ बीटू खाना देने खेत पर गयी थी। खेत में चल रहा पानी बन्द हो जाने के कारण वह फाटक देखने चला गया, तभी गॉव का सरदार कुलदीप सिंह उसकी पत्नी को सबके सामने जातिसूचक चमरिया कहकर गालियॉ देने लगा। उसकी पत्नी ने गाली देने से मना किया तो कुलदीप सिंह ने उसकी पत्नी को बुरी नियत से पकड़कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया, तभी वह मौके पर आ गया। उसने कुलदीप सिंह को ललकारा तो उसने अपने पिता दलवीर सिंह को बुला लिया और दोनों लोगों ने उसको खेत पर पकड़कर लात–घूसों से मारापीटा तथा कुलदीप ने उसके सीने पर तमंचा लगाकर धमकी दी कि दोबारा अपने खेत में नहर का पानी काटा तो जान से मार देंगे तथा जातिसूचक साले चमट्टे कहकर गालियॉ देकर अपमानित किया।

परिवादी की ओर से धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0 01 श्रीराम, पी0डब्लू0 02 पूजा उर्फ बीटू व पी0डब्लू0 03 मोनू को परीक्षित कराया गया।

परिवादी ने अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, केवल नाम लिखना जानता है। वह जाति का जाटव (अनुसूचित जाति) है। घटना दिनांक 22.02.2023 की है। वह खेत पर नहर से पानी लगा रहा था। समय करीब 10 बजे दिन का था। तभी उसकी पत्नी बीटू खाना लेकर खेत पर आयी। जब नहर का पानी खेत में आना बन्द हो गया था तो वह नहर पर चला गया था। उसी बीच कुलदीप आकर उसकी पत्नी से बोला चमरिया साली, तुम्हारा पति कहॉ हैं, पानी क्यों चला लिया। उसका खेत बगल में है। उसने गन्दी नियत से उसकी बीवी के बाल पकड़कर पटक दिया। गालियॉ देने लगा। वह दूर से आया तो देखा, मना किया तो तभी उसे भी मारने लगे। उसके साथ उसका पिता दलवीर सिंह भी आये। उन्होंने भी गालियॉ दीं व मारा। कहा, सालों अब दुबारा पानी काटा तो जान से मार दूँगा। कहा, साले चमट्टे को खेती करना भूला देंगे। तभी उसके पिता श्रीराम व भाई मोनू दौड़कर आया तो बचाया, हाथ जोड़े तब गये। जब वह रिपोर्ट करने जा रहा था तभी उसी के पहले दलवीर ने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस आ रहे थे, उसको रास्ते में पकड़ लिया, थाने ले गये और उसका चालान कर दिया। उसकी बात नहीं सुनी, तब वह न्यायालया आया है। और कोई बात नहीं।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0 01, पी0डब्लू0 02 व 03 द्वारा परिवादी के कथन का समर्थन किया गया है।

अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0 01, 02 व 03 तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षी **कुलदीप सिंह** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा **323, 354, 504** भा0दं0सं0 व धारा **3(1)द** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट एवं विपक्षी **दलवीर सिंह** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा **323, 504** भा0दं0सं0 व धारा **3(1)द** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण उपरोक्त, उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्त **कुलदीप सिंह** को धारा **323, 354, 504** भा0दं0सं0 व धारा **3(1)द** एस0सी0/एस0टी0 एवं अभियुक्त **दलवीर सिंह** को धारा **323, 504** व धारा **3(1)द** एस0सी0/एस0टी0 के अंतर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं तलबाना/आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः **30.01.2024** को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।

Digitally signed by ALOK KUMAR SHUKLA
Date: 2024.01.22 12:41:29 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court